



महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337455
फैक्स नं० : 0522-2337453
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(1)2022 / 1106
दिनांक : जून 01, 2023

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या:दस-391/2022 दिनांक 12.11.2022 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प-1(4)/2022 दिनांक 07.11.2022 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2022 की रिक्ति के सापेक्ष उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को माह मई 2023 में सेवानिवृत्त हुये मुख्य आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	9419	30440177	गोपाल प्रसाद	श्री चोब सिंह	38वीं अलीगढ़	2022
2	9421	30750731	राघवेन्द्र सिंह	राम निवास	हरदोई	2022
3	9422	30471027	रविकुमार	छोटेलाल	पीलीभीत	2022
4	9423	30510177	भास्कर कुमार	श्री जयकरन	प्रयागराज	2022
5	9424	30440441	दिनेश कुमार	श्री मोती चन्द्र	सुरक्षा विभाग	2022
6	9425	31860026	राम विलास	मिश्रीलाल	जौनपुर	2022
7	9426	30440920	लालजी यादव	श्री शंकर यादव	पी0टी0सी0 सीतापुर	2022
8	9427	30440630	धर्मेन्द्र सिंह	श्री विजय बहादुर सिंह	02वीं सीतापुर	2022
9	9428	30680874	संदीप कुमार	श्री समरजीत	प्रयागराज	2022
10	9429	30750467	सन्तोष कुमार	दशरथ सिंह	33वीं झाँसी	2022
11	9430	30650448	उदय नारायण सिंह यादव	मुक्तेश्वर सिंह यादव	कमिश्नरेंट लखनऊ	2022
12	9431	30680076	किरण कुमार	श्रीपाल	प्रयागराज	2022
13	9432	30440526	राजू प्रसाद	श्री लौटू प्रसाद	बलरामपुर	2022
14	9433	30581148	श्री राम	श्री शिवजतन	27वीं सीतापुर	2022
15	9434	30750555	देवेन्द्र कुमार	बालादीन	33वीं झाँसी	2022
16	9435	30660351	राजनाथ	श्री बनवारी लाल यादव	36वीं वाराणसी	2022
17	9436	30481288	विनोद कुमार बिन्द	श्री कुँवर लाल	मऊ	2022
18	9437	30660465	अशोक कुमार	वीपत मोर्य	कमिश्नरेंट वाराणसी	2022
19	9438	30680294	संदीप कुमार	यशवीर सिंह	44वीं मेरठ	2022
20	9439	30440542	वेद प्रकाश यादव	श्री देव नारायण यादव	पी0टी0सी0 सीतापुर	2022

21	9440	30470763	अजय कुमार	श्री शिवचरन सिंह	15वीं आगरा	2022
22	9441	30650158	विवेक सिंह	श्री रमाकान्त सिंह	सुरक्षा विभाग	2022
23	9442	30460254	योगेश बर्धन	अमर सिंह	मथुरा	2022
24	9443	30470835	शिवराज सिंह	देवी सिंह	बदायूँ	2022
25	9444	30500932	शोबी लाल	अलई राम	11वीं सीतापुर	2022
26	9445	30470428	रविन्द्र पाल	हरपाल सिंह	शाहजहाँपुर	2022
27	9446	30750513	वीरेन्द्र कुमार	श्री रामअचल	39वीं मिर्जापुर	2022
28	9447	30441125	संजय सिंह	श्री राम समुझ सिंह	02वीं सीतापुर	2022
29	9448	30471391	हेमादुल हसन	महबूब हसन	पीलीभीत	2022
30	9449	30750496	अजीत कुमार सिंह	विशम्भर सिंह	12वीं फतेहपुर	2022
31	9450	30550591	मौ0 साकिब	वशीर अहमद	44वीं मेरठ	2022
32	9451	30550139	नीरज कुमार	ओमप्रकाश	मेरठ	2022
33	9452	30440500	ध्रुव चन्द्र	श्री प्रेमचन्द्र	26वीं गोरखपुर	2022
34	9454	30681138	श्रवण कुमार	राधेश्याम	कासगंज	2022
35	9456	30471128	आदेश कुमार यादव	राम प्रकाश यादव	अमेठी	2022
36	9457	30510281	दयानन्द कुशवाहा	श्री शंकर कुशवाहा	26वीं गोरखपुर	2022
37	9458	30750249	मो0 अरशद	करीम उल्ला	प्रयागराज	2022
38	9459	30471157	सुधीर कुमार	मांगे राम	44वीं मेरठ	2022

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

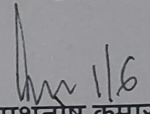
(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र


(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/ वाराणसी/प्रयागराज।
- 2- सेनानायक, 2वीं/11वीं/12वीं/15वीं/26वीं/27वीं/33वीं/36वीं/38वीं/39वीं/44वीं वाहिनी, पीएसी, उत्तर प्रदेश।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बदायूँ/बलरामपुर/कासगंज/मऊ/मथुरा/मेरठ/हरदोई/पीलीभीत/शाहजहाँपुर/जौनपुर/अमेठी उत्तर प्रदेश।
- 4- पुलिस अधीक्षक, पीटीसी सीतापुर।
- 5- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ).....

पुत्र.....निवासी.....थाना.....

जनपद.....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)

नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ राहित)

नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0.....धारा.....थाना.....जनपद.....में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।